दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में अनुसूचित जातियों का आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण

एक भौगोलिक समीक्षा

ज्ञतपचंदंदक डपींतं
त्मेमंतबी ैबीवसंतए
न्दपअमतेपजल क्मचंतजउमदज व ळमवहतंचीलए
स्ंसपज छंतंलंद डपजीपसं न्दपअमतेपजलए क्तइींदहं

/इेजतंबज रू सरकारी प्रावधान के अनुसार अनूसचित जातियों के अन्तर्गत बंतार (बाँतर) बाऊरीए भोगताए भूइयांए चमार (मोची)ए चौपालए दवगारए धोबीए डोमए दुसाधए घासीए हलालखोरए मेहतरए कंजरए कुरैरी ललवेगीए मुसहरए नटए पान (स्वासी)ए पासीए राजवारए तूरीए जातियाँ सम्मिलित की गई हैं । इन जातियों में से दरभंगा जिला एवं अध्ययन क्षेत्र (बहादुरपुर प्रखंड) में मुख्य रूप से चमारए दुसाधए बाँतरए धोबीए डोम हलालखोरए मुसहर इत्यादि जातियाँ ही पाई जाती हैं प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में दलित जातियाँ सामाजिक–आर्थिक–शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी एवं अस्पृश्य रही हैं। आज के वैज्ञाणिक युग में भी भारतीय समाज में व्याप्त जातीय व्यवस्था तथा आर्थिक असमानता इसका पोषक एवं वाहक तत्त्व तो है ही साथ ही वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने इसको और ताकत प्रदान किया हैए जिसका परिणाम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग सात दशक बीत जाने के बाद भी परिस्थिति में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। राजतंत्रए सामंतवादए वणिकवाद और जमीन्दारी प्रथाओं ने उन्हें आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर रखा है साथ ही अशिक्षा के कारण इसकी दरिद्रता में कई गुणा वृद्धि हुई है।

परिचय (प्दजतवकनबजपवदद्ध रू

ष्दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में ऽ अनुसूचित जातियों का आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण : एक भौगोलिक समीक्षाश्श विषय पर भूगोल में उपस्थापित प्रस्तुत शोध प्रबंध का मुख्य उद्देश्य दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड के सामान्य जनसंख्या एवं अनुसूचित जातियों की जनांकिकीय विशेषताओं का सापेक्षिक मूल्यांकनए अनुसूचित जातियों के आर्थिक–सामाजिक स्तर का प्रश्नावलीए अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से सर्वेक्षण और मूल्यांकन तथा उनके अध्ययन के आधार पर अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक एवं समेकित विकास हेतु भौगोलिक दृष्टिकोण से सुझाव उपस्थापित करना है। इस शोध प्रबंध की प्रस्तुति सात अध्यायों में विभाजित कर क्रमशः प्रस्तावनाए भौगोलिक परिदृश्यए सामान्य जनांकिकीय विश्लेषणए सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यए शैक्षणिक विकास की प्रवृत्तिए शिक्षा एवं सामाजिक–आर्थिक विकास में अन्तर्सम्बन्ध उपस्थापित करनाए अनुसूचित जातियों के विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन का आधार प्रस्तुत करना तथा अंततः सम्पूर्ण शोध प्रबंध का सारए अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकस हेतु संस्तुतियाँ तथा शोध अध्ययन का भौगोलिक दृष्टि से निष्कर्ष उपस्थापित करना है।

शोध समस्या (च्तवइसमउ व त्मेमंतबीद्ध रू

संविधान के अनुच्छेद–341 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपतिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इन जातियोंए मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियाँए मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगाए जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझा जायेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान है कि किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगाए जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थितिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा। इन प्रावधानों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों की सूची को प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित किया गया गया है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जाति में की सूची को अंतिम रूप देने के लिए 2001 की जनगणना करने से पूर्व इन सभी संवैधानिक संशोधनों को ध्यान में रखा गया।

वर्तमान राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम है कि जिस अस्पृश्य जातियों को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हरिजन (यानि ईश्वर का आदमी) नाम दियाए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के रूप में अंगीकार किया गयाए उसे पुनः कुछ राजनीतिक व्यक्तियों या समूहों ने दलित शब्द से विभूषित कर दिया है। जो प्राचीन सामंतवादी प्रथा का ही पुरनावृत्ति है। स्वाधीनता के बाद भारत ने एक उदार लोकतंत्र अपनायाए जिसका एक लिखित संविधान है ओर एक संसदीय प्रणाली में अनुसूचित जाति और दलित कहे जाने वाले ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग को विशिष्ट व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक वृहत सामाजिक बदलाव के जरिए संपन्न समाज के लोकतांत्रिक रूपांतरण की प्रतिबद्धता भारतीय विकास नीति का अहम हिस्सा रहा है। हालांकि छह दशक से भी ज्यादा लंबी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बावजूद दलित अभी भी हाशिये पर है और वंचना के शिकार हैंए जिसके मूल में असमानता और सामाजिक भेदभाव है। जहाँ गरीबी देश में वंचित समाज के लिए बड़ी अयोग्यता साबित हुई हैए वहीं जाति ने असमानता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति व्यवस्था में हर जाति के लिए जन्म आधार पर तय किए गए सामाजिकए सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों में बदलाव की सीमाओं ने भी कई किस्म

की वंचनाओं को जन्म दिया है। प्रख्यात नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी इस बात को इंगित किया है कि कैसे खासकर पूरे एशिया में सामाजिक बहिष्कारों की वजह से वंचनाओं ने जन्म लिया और व्यक्तिगत अवसरों की सीमाएं बांध दी गई। एडम स्मिथ के मार्गदर्शक वंचना की व्याख्या ग्लोक जीवन में बिना झिझक भाग लेने की असमर्थताश का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह सामुदायिक जीवन में भागीदारी के अधिकारों से उपजी एक किस्म की वंचना है। सामाजिक संबंधों से बहिष्कार दूसरे क्षेत्र जैसे शिक्षाए रोजगार और बाज़ार से वंचित होने से भी जुड़ा है और यह क्षमताओं से वंचित करना ही है। इसके अवसरों की सीमा बंध जाती है। (पईए सुधा : योजनाए अगस्तए 2013द्ध

यह तथ्य सामने आया है कि हालांकि स्वाधीनता के बाद वंचितों की स्थिति में काफी बदलाव इसके उनके हाशिये पर रहने और बहिष्कार की स्थिति बनी हुई हैए जो एक सशक्त लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। ऐतिहासिक दौर से ही दलितों को शिक्षा प्रणालीए संपत्ति का स्वामित्व जैसे भूस्वामित्व से वंचित किया गया और उन्हें खास व्यावसायिक गतिविधियों की सीमाओं में बँधकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से वंचित रखा गया। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की लगभग 16ण्66 करोड़ की आबादी का 16 फीसदी पाँच राज्य–उत्तरप्रदेशए पश्चिम बगालए बिहारए आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में है। उनकी आबादी के हिसाब से शहरी आबादी का घनत्व काफी कम है जो उनके पिछड़ेपन और जीवनयापन के लिए पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भरता दर्शाती है। इस बड़े समुदाय में भूमिए श्रम और पूंजीगत भेदभाव के साथ उनकी पसंद के व्यवसाय में भागीदारी अभी भी बहुत कम है। इनमें से अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं और कुल 41 फीसदी ग्रामीण दिहाड़ी अनुसूचित जाति के श्रमिकों में से एक तिहाई के पास ही जमीने हैं। हिंदी प्रदेशों में सन् 1961 से 2001 के बीच दलितों में 45 फीसदी साक्षरता की अपेक्षा कुछ दशकों में इस प्रतिशत में कुछ इजाफा हुआ हैए लेकिन दलितों और अन्य लोगों में अब भी यह अंतर काफी बना हुआ है। यह दलित औरतों में खासकर ज्यादा ही है। हालांकि सन् 1990 आते–आते अनुसूचित जाति के लोगों में साक्षरता दर 17 फीसदी तक बढ़ी और शहरी–ग्रामीण अंतर के साथ–साथ लिंग भेद भी कम हुआ। हालांकि साक्षरता बढ़ी हैए बावजूद इसके अध्ययन स्पष्ट करते हैं अनुसूचित जाति के बच्चों की तुलना में अन्य जाति के बच्चों के स्कूलों में दाखिले में बड़ा अंतर है और स्कूल छोड़ने का प्रतिशत अभी भी अनुसूचित जाति के बच्चों में ज्यादा है। दलित बच्चों में प्राथमिक स्तर के स्कूलों में सन् 1990.91 से लेकर 1999.2000 के बीच दाखिले का प्रतिशत भी सकल जनसंख्या की तुलना में कम हुआ है। इसी तरह उच्च शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी दलितों के दाखिले का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है और आरक्षित सीटें भी खाली रह जाती हैं।

सामाजिक परिमंडल में भी दलितों को अभी भी बहिष्कार और वंचना झेलनी पड़ रही हैं। उनके निवास गाँव से बाहर और शहरों में झुग्गियों में हुआ करते हैंए जहाँ सड़कए पेयजलए स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताओं से भी उन्हें वंचित रहना पड़ता है। शर्मनाक पहलू यह है कि सन् 1993 में मैला ढोने की प्रथा को दंडनीय बना देने के बावजूद इनमें से अधिकांश अब भी इस काम को करने के लिए मजबूर हैं। अभी भी 80 हजार से भी अधिक मैला ढोने वाले लोग हैंए जिसके लिए नगर निगम और राज्य सरकार जिम्मेदार हैंए क्योंकि 12 राज्यों ने इस अधिनियम को लागू ही नहीं किया है।

जहाँ स्वाधीनता के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ हैए वहीं कुछ राज्यों में यह समस्या अब भी बनी हुई है। स्वातंत्र्योत्तर काल में स्थिति में बदलाव के कारक रहे हैं द्य भेदभाव के खिलाफ संरक्षणए पूंजीवादी विकास और प्रतिस्पर्धी राजनीति । संविधान में वर्णित भेदभाव के खिलाफ संरक्षण अनुसूचित जाति के लोगों को समाज और राजनीति में समावेशीकरण सुनिश्चित करता हैए भागीदारी को बढ़ावा देता है और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देता है लेकिन समाज की असमान आर्थिक संरचनाए जो स्वतंत्रता के बाद प्राप्तियाँ के असंतुलित वितरण के रूप में सामने आईए उनमें विकास की एक पूंजीवादी प्रणाली बनी रही। जिसका अर्थ यह था कि एक खास वर्ग लाभान्वित होता रहा और बड़ी संख्या गरीब हाशिये पर बने रहे और अवसरों की उपलब्धता उनके लिए सीमित ही रही। मार्क गैलेंटर तर्क देते हैं कि भेदभाव के खिलाफ संरक्षण के बिना खासकर स्वाधीनता के बा के कुछ सालों तक अनुसूचित जाति के लोग व्यवस्था से बाहर ही बने रहे और वे सामाजिक भागीदारी हासिल नहीं कर पाए।

सन् 1990 के बाद भेदभाव के खिलाफ संरक्षण पर बहस–मुबाहिसों के तौर–तरीकों में बदलाव आया है। वैश्वीकरण के साथ–साथ एक छोटाए किन्तु प्रभावशालीए शिक्षित और मध्यवर्गीय दलित बौद्धिकों–कार्यकर्ताओं की पैठ राजनीति में बढ़ी है। उनका तर्क है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में राज्यों में नौकरियों के अवसर कम हुए हैं। इनमें से कुछ का तर्क है कि नौकरियों के अवसर देने वाले और तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएए जबकि कुछ का मत है कि आपूर्तिगत वैविध्य के अमरीकी मॉडल की तरह ठोस कदम उठाए जाएंए जैसा कि जनवरी 2002 में भोपाल सम्मेलन में चर्चा की गई थी। हाल के कुछ अध्ययनों का सुझाव है कि भारत में अपेक्षाकृत कम शोध किए गए क्षेत्रए वैश्वीकरण के दौर में उच्च शिक्षा और निजी नौकरियों के बाजारए इसका स्वरूप और गुणों पर दलित भेदभाव के अंतर्गत पड़ने वाले प्रभावों पर व्यापक बहस कराई जानी चाहिए। एक ओर जहाँ दलितों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ हैए वहीं समाज के अन्य वर्गों में असमानताएँ अभी भी मौजूद हैं। प्रतिस्पर्धी राजनीति के साथ–साथ पूंजीवादी विकास ने जहाँ जाति प्रणाली को कमजोर किया हैए वहीं इसने दलितों के बीच ही कई किस्म की असमानताओं को जन्म दिया है। राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थान की 1999.2000 की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अनुसूचित जाति की महज 29ण्90 ग्रामीण आबादी ही कुछ हद तक कृषि भूमि और गैर–भूमि पूंजी हालि करने में सफल रही है। सन् 1999.2000 के दौरान अनुसूचित जाति के 75 फीसदी परिवार भूमिहीन कृषि श्रमिक के रूप में चिति किए गए थे। जिनके पास जमीनें थींए वे भी काफी कम और अपर्याप्त थीं। उनमें से भी

अधिकांश परिवारों की आय काफी कम थींए उनका उपभोग बहुत कम था और 35ण्43 परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे। अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के ताकतवर होने के कारण जमीनों से उनका रिश्ता फायदेमंद नहीं था। (पईए सुधा : योजनाए अगस्तए 2013ण पृ. 43.45द्ध दलितों का एक वर्ग अभी भी जातिगत व्यवसाय जैसे कृषि के साथ बुनकरों की श्रेणी में है। पूंजीवादी प्रणाली ने उनके लिए अवसर खोले हैंए जिनकी दक्षता बाज़ार के अनुकूल है। शहरी इलाकों के दलित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में दुकानों परए छोटे उद्यमों में और कुछ निजी क्षेत्रों में अच्छी नौकरियों में लगे हैं लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। संगठित क्षेत्र उद्यम के राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में कमजोर वर्ग हाशिये पर हैं। ऐसे श्रमिक जिनके पास रोजगार नहीं हैं एवं सामाजिक सुरक्षा नहीं है उनकी संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 92 फीसदी है ओर सामाजिक पहचानए गंवई निवास और शिक्षा के आधार पर उनसे भेदभाव अब भी मौजूद है। रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि इन श्रमिकों में से अधिकांश अनुसूचित जाति-जनजाति से आते हैं।

स्वतंत्रता के बाद यह सोचा गया था कि त्वरित आर्थिक विकास के साथ-साथ दलितों के साथ जातिगत आधारित अत्याचार खत्म हो जाएंगे जबकि 1970 के बाद दो स्थितियां सामने आई हैं । जाति आधारित अपराधों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और इनमें से कई अपराध अपेक्षाकृत विकसित राज्यों जैसे हरियाणाए पंजाबए महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दर्ज किए गए हैं। दूसराए रीति-रिवाजों के अत्याचारों की जगह जाति आधारित अत्याचार जैसे बलात्कारए दलितों को वोट देने से वंचित करनाए उनके मकान जला देनाए औरतों को बेआबरू कर गांवों में घूमना आदि वारदातों में इजाफा हुआ है। आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ ही साथ दलितों के खिलाफ अत्याचार भी बढ़े हैंए ईर्ष्या की भावना बढ़ी हैए जिसका ज्वलंत उदाहरण खैरलांजी है। हरियाणा के जति पंचायतों की सबसे ज्यादा शिकार दलित औरतें हुई हैं । सन् 2002 में यहाँ दलितों के साथ अत्याचार के 33ए507 मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 से कोई मदद नहीं मिली है और संघर्ष वटा ही है। अनुसूचित जाति-जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट 1990 के अनुसार सन् 1980 के बाद अत्याचारों के अधिकांश मामलों की जड़ में सामाजिक और सांस्कृतिक कारण होने के बजाय विशुद्ध रूप से राजनीतिक और आर्थिक कारण रहे हैं। अध्ययन बताते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि छुआछूत पूरी तरह खत्म हो गई है।

हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव दर्ज किया गया है। भेदभाव के खिलाफ संरक्षण एक दीर्घावधि की लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास प्रक्रिया हैए जिसने शिक्षितए आत्मविश्वास से पूर्ण और राजनीतिक रूप से जागरूक मध्यवर्गीय दलितों की नयी पीढ़ी विकसित की हैए जो बहिष्कार और आधिपत्य की स्थिति मानने को तैयार नहीं हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में दलित शब्द पहचान के पर्याय के रूप में उपयोगी किया जा रहा है। हालांकि इसने दलितों को एक समुदाय के रूप में स्थापित नहीं किया है और अभी भी इनके अंदर उपजाति की खाई चौड़ी दिखाई देती है और इनके विविध समूहों में हिंसा के भी उदाहरण सामने आते रहे हैं। बावजूद इसके इसका महत्त्व बढ़ा हैए जिसने दलित पहचानए आत्मविश्वास के साथ-साथ ऊँची जातियों के अत्याचार और आधिपत्य के खिलाफ खड़ा होने का संबल भी दिया है।

यह सही है कि दलित नेताओं के बीच जागरुकताए राजनीति दलों के गठन और प्रतिस्पर्धी राजनीति से दलितों का सशक्तीकरण हुआ है और वे राजनीति की मुख्यधारा में प्रवेश कर चुके हैं। राजनीतिक जागरुकता का एक नया दौर देखा जा रहा है और नीचे से ऊपर तक इसका संचार हुआ है। सन् 1990 के बाद के सभी चुनावों में दलितों के बीच वोट देने का प्रतिशत लगातारप बढ़ता गया है।

स्वतंत्रता के बाद के युग ने दलित पार्टियोंए आंदोलनों जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाए दलित पैंथर्स और अन्य छोटे दलों का उभार देखा है। समकालीन समय में दलित उभार सन् 1980 में भारतीय मैदानी इलाकों में सर्वथा नये चरित्र और विशिष्ट गुणों के साथ देखा गया। नयी शिक्षित पीढ़ी राष्ट्रीय आंदोलनों से उपजी राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं की समुचित समझ से लैस हैए जो ऊँची जाति के कुलीनों द्वारा नियंत्रित किए जा रहेए उनके लिए और उनके मतलब के लिए चल रहे लोकतंत्र से बिल्कुल अलहदा है। बहिष्कारों के अनुभवों और भारतीय राज्यों द्वारा दलितों के जान और माल की रक्षा में असमर्थता से उपजे भ्रम ने दलितों को आर्थिक विकास का फल चखने और छुआछूत की प्रथा से मुक्त होने का अवसर दिया है। हालांकि फिलहाल यह दलित उभार विकास के साथ वंचित करनेए सामाजिकए राजनीतिक और आर्थिक वंचना से उपजी प्रतिक्रिया के रूप में ही सामने हैं। इस उभार का एजेंडा व्यवस्था को तोड़ने का नहींए बल्कि समाज के अंदर और राजनीति में दलितों के लिए सामाजिक न्याय हासिल करने पर आधारित है।

इन दलितों को शैक्षिकए आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से ऊपर उठाने के लिए महात्मा गाँधीए डॉ0 अम्बेडकरए ज्योतिबा फूलेए स्वामी विवेकानन्दए स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं राजा राममोहन राय आदि मनीषियों ने प्रयास किया तथा संविधान में इनके उत्थान के लिए प्रावधान किये गये । तथापि उनमें व्याप्त अज्ञानताए चेतनहीनता और आर्थिक विपन्नता के कारण उनकी स्थिति में अपेक्षित सधार नहीं हो पाया है। वर्तमान में भी ये लोग शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े है। राजनैतिक व्यवस्था से भी कुछ पूर्व सम्पन्न एवं शिक्षित परिवारों को ही लाभ मिला है। अधिकांश आम अनुसूचित जातियाँ अभी भी विशेष लाभ से वंचित है। शिक्षा एवं आर्थिक प्रगति के बीच अन्योनयाश्रय सम्बन्ध हैए यानि उनके बीच धनात्मक संबंध है। यदि इस तथ्य की समीक्षा की जाय तो स्पष्ट होता है कि अभी भी वे शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए है। सामाजिक स्तर पर भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा का गहन अध्ययन अपेक्षित है। अतः दरभंगा जिला के

बहादुरपुर प्रखण्ड का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुनाव किया गया है । अतः दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड का अध्यक्ष क्षेत्र के रूप को चुनाव किया गया है द्य

शोध का मुद्दा एवं क्षेत्र (जैमउम ंदक ।तमं व ित्मेमंतबीद्ध रू

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इस संदर्भ में बिहार प्रांत भी धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ विभिन्न जाति के लोग बसते हैं एवं अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15ण्7ः तथा 1991 ई. में 15ण्5ः थी । तालिका के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि गया जिला में राज्य का सर्वाधिक (29ण्6ःद्ध तथा किशनगंज (6ण्6ःद्ध में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पायी जाती है। अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2001 में 0ण्9ः थी । वर्तमान समय में राज्य में 0ण्01ः अनुसूचित जनजाति पायी जाती है। बिहार में अनेक जातियों को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा है श्जिनमें दुसाधए चमारए धोबीए मुशहरए पासीए चौपालए डोमए धोसीए मेहत्तरए हलखोरए नटए रजवारए तुरी आदि उल्लेखनीय हैं। अनुसूचित जनजातियों में मुख्य रूप से संथालए उराँवए मुंडाए लोहराए बंजाराए बेदियाए गोड़ए हो आदि जातियों को सम्मिलित किया जा सकता है। राज्य में उपरोक्त जातियों एवं जनजातियों की सहभागिता सभी जिलों में । समान नहीं पायी जाती है। कुछ ऐसे भी जिले हैं जिन जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नगण्य है तथा कुछ जिलों में बहुत ही कम संख्या में निवास करते हैं। हालांकि समाज के बहुमुखी विकास में इनकी भूमिका सर्वत्र देखी जाती

अनुसूचित जाति की जनसंख्या :

बिहार में जनसंख्या की वृद्धि के समान ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 14ण्51ः थीए परंतु 1991 ई. में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 14ण्56ः हो गयी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 5ः जनसंख नगरीय भागों में निवास करती है। तालिका के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के सभी जिलों में अनुसूचित जाति की संख्या समान नहीं है। इस राज्य के कुछ जिलों में इन जातियों की संख्या सर्वाधिक तथा कुछ जिलों में कम पायी जाती है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या गया जिला (29ण्6ःद्ध में पायी जाती है । इसके बाद नवादा (24ण्1ःद्धए औरंगाबाद (23ण्5ःद्धए कैमूर (22ण्2ःद्धए वैशाली (20ण्7ःद्धएनालन्दा (20ण्0ःद्धए शेखपुरा (19ण्7ःद्धए जहानाबाद (18ण्9ःद्धए समस्तीपुर (18ण् 5ःद्धएरोहतास (18ण्1ःद्धए जमुई (17ण्4ःद्धए मधेपुरा (17ण्1ःद्धए सहरसा (16ण्1ःद्ध आदि जिलों का स्थान आता है। बिहार में औसत में कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 18 जिलों में पायी जाती है तथा सबसे कम (न्यूनतम) किशनगंज में (6ण्6ःद्ध पायी जाती है। लिंगानुपात : बिहार में लिंगानुपात की दृष्टि से अनुसूचित जाति का अनुपात बिहार के औसत अनुपात से अधिक अर्थात् 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 923 हैए जबकि बिहार का औसत अनुपात 916 है। राज्य के प्रायः सभी भागों में भी लिंगानुपात समान नहीं है। इस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात सीवान जिला (1012द्ध में पाया जाता है। इसके बाद गोपालगंज (983द्धए सारण (952द्धए जमुई (949द्धए नवादा (947द्धए गया (946द्धए मधेपुरा (942द्धए सहरसा (938द्धए मधुबनी एवं किशनगंज (937द्धए सुपौल (936द्धए पूर्णिया (935द्धए समस्तीपुर (934द्ध आदि जिलों का स्थान है। निम्न लिंगानुपात जिन जिलों में पाया जाता हैए उनमें शिवहर (888द्धए पटना एवं मुंगेर (886द्ध तथा न्यूनतम लिंगानुपात भागलपुर जिला में पाया जाता है।

साक्षरता :

साक्षरता की दृष्टि से अनुसूचित जाति का औसत अनुपात बहुत ही कम (28ण्5ःद्ध हैए जबकि बिहार राज्य का औसत साक्षरता अनुपात 63ण्82ः है। इस जाति की सर्वाधिक साक्षरता मुंगेर जिला (42ण्6ःद्ध में पायी जाती है। इसके बाद रोहतास (43ण्3ःद्धए कैमूर (40ण्5ःद्धए भोजपुर (39ण्1ःद्धए पटना (38ण्6ःद्धए बक्सर (37ण् 9ःद्धए औरंगाबाद (35ण्7ःद्धए सीवान (35ण्6ःद्धए भागलपुर (33ण्7ःद्धए सारण (33ण्6ःद्ध आदि जिलों का स्थान है। निम्न साक्षरता मुख्य रूप से सुपौल (19ण्6ःद्धए अररिया (18ण्9ःद्धए पूर्णिया (18ण्5ःद्धए मधेपुरा (17ण्1ःद्ध तथा न्यूनतम साक्षरता शिवहर जिला (16ण्9ःद्ध में पायी जाती है। तालिका के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी एवं उत्तरी पश्चिमी जिलों में अनुसूचित जाति के लोगों की साक्षरता को ऊँचा उठाना अतिआवश्यक है। सरकार को इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन के लिये शोध क्षेत्र के रूप में दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड का चयन किया गया है। यह प्रखण्ड दरभंगा शहर से सटे पूरब भाग में फैला हैए जो पूर्णतः ग्रामीण आबादी वाला प्रखण्ड है। इसके पश्चिम में दरभंगा शहरए पूरब में बेनीपुर एवं बहेड़ी प्रखण्ड उत्तर में केवटी एवं दक्षिण में हायाघाट प्रखण्ड अवस्थित है। प्रखण्ड का कुल क्षेत्रफल 15338ण्89 हे0 है। इस प्रखण्ड की कुल आबादी वर्ष 2001 के जनगणना अनुसार 218249 व्यक्ति है। जिसमें 115160 पुरुष एवं 103089 महिला आबादी है। प्रखण्ड में अनुसूचित जाति की कुल आबादी 46150 व्यक्ति हैए जो कुल आबादी का लगभग 21ण्14 प्रतिशत है। यह प्रखण्ड जिला के दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति की आबादी वाला प्रखण्ड है।

दरभंगा जिला का बहादुरपुर प्रखण्ड एक अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुल प्रखण्ड है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का कुल घराना (भ्वनेम ीवसकेद्ध 51ए 782 थे जिसमें कुल जनसंख्या 261ए805ए जिसमें 138ए473 पुरुष और 123ए332 महिलायें थीं। अर्थात् यहाँ कुल लिंगानुपात 891 थे जो ऋणात्मक अनुपात का संकेत देता है अर्थात् यहाँ से पुरुष श्रमिकों का बाह्य पलायन (व्नज.उपहतंजपवदद्ध बहुत अधिक हुआ है।

बहादुरपुर प्रखण्ड में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या 57ए335 है जो प्रखण्ड की कुल जनसंख्या का 21ण्90 प्रतिशत है जो जिले में द्वितीय स्थान पर है। यहाँ कुल अनुसूचित जाति 30ए152 तथा कुल अ.जा. महिला की संख्या

27ए183 है अर्थात् यहाँ अ. जा. लिंगानुपात 902 है जो सामान्य लिंगानुपात 891 से अधिक है अर्थात् सामान्य जनसंख्या की तुलना में लिंगानुात अपेक्षाकृत संतुलित है।

बहादुरपुर प्रखण्ड में कुल 125 गाँव हैं जिनमें सिर्फ 15 गाँवें ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1000 से ऊपर है। अर्थात् अनुसूचित जाति के सिर्फ वैसे ही गाँवों का त्‍दकवउ ैउचसपदह के आधार पर चयन किया गया है जिनकी अनुसूचित जाति की आबादी एक हजार से ऊपर है जिसमें 15 गाँव क्रमशः रेकुलीए चिन्तामनपुरए अकौलए गुण्डौलीए पुराकोपट्टीए जिरारीए गोढ़ियाए छपरारए खेरालीए पड़रीए मधुबनए बासतपुरए उधराए खैरा कूँज और बहादुरपुर ब्ज है। इसमें जनांकिकीय विशेषताओं देखा जा सकता है :

;पद्ध 2011 जनगणना के अनुसार कुल 15 गाँव अनुसूचित जाति प्रमुख हैं जिनकी जनसंख्या एक हजार से ऊपर है इन गाँवों में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला उधरा है जहाँ की अनुसूचित जनसंख्या 2ए645 है। इसके बाद क्रमशः खैरा ऊन (2171द्धए गुण्डौली (2023द्धए देकुली (1849द्धए छपरार (1566द्ध आदि हैं। इन गाँवों की जनसंख्या 1500 से अधिक है। ;पपद्ध द्वितीय क्रम में वैसे गाँव हैं जिनकी अनुसूचित जाति जनसंख्या 1000 से 1500 के बीच है इसमें सबसे ऊपर बासतपुर (1482द्ध है इसके बाद क्रमशः गोढ़िया (1479द्धए पिरारी (1312द्धए औकौल (1269द्धए देवकली (1191द्धए चिन्तामनपुर (1161द्धए पड़री **है** ;1128द्ध हैं। बहादुपए नगरीय क्षेत्र (ब्ज्द्ध की जनसंख्या 1168 है। सबमें कम जनसंख्या मधुबन मात्र 1065 है। ;पपपद्ध अनुसूचित जाति के लिंगानुपात का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि यहाँ 950 से अधिक लिंगानुपात वाले दो गाँव बासतपुर (979द्ध ओर उधरा (956द्ध मात्र है। 901 से 950 के बीच क्रमशः गोढ़िया (944द्धए चिन्तामनपुर (922द्धए खैरापुंज (921द्ध मधुबन (916द्धए देकुली (क्12द्ध तथा पुराकोपट्टी (612द्धए देवकली (909द्धए औझोल (908द्ध आदि हैं। शेष गाँवों का लिंगानुपात 900 से भी कम है। सबमें कम मात्र 800 पिरारी का है। क्षेत्रीय औसत 902 है।

इन हरिजन आबादी का अधिकांश भाग भूमिहीन गरीब हैए जो जीविका के लिये दूसरे के खेतों में या बाहर जाकर मजदूरी पर निर्भर रहते है। शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भी इनमें काफी पिछड़ापन देखने को मिलता है । देखने से ऐसा प्रतीत होता हैए कि दरभंगा शहर के निकटता का भी इनके उत्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही आजादी के दशकों बीत जाने के बाद भी संविधान द्वारा प्रदत् आरक्षण के सुविधा का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मूल कारण इनका शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन ही है। आरक्षण का लाभ कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। हालांकि हाल के वर्षों में इनमें जागरूकता तो आयी है। जिसके परिणामस्वरूप ये बार जाकर अर्थोपार्जन करकेए अपना निजी जमीन और आवास का प्रबंध करने के प्रति आकर्षित हुए हैं। साथ ही जो लोग सक्षम है वे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अग्रसर हो रहे है। परन्तु आज भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में ये काफी पिछड़े है।

अनुसंधान का उद्देश्य **(व्इरमबजपअमे व ित्मेमंतबीद्ध रू**

अनुसूचित जातियों में आज भी सामाजिकए आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन मौजूद है। क्या शैक्षणिक पिछड़ापन इनके आर्थिक-सामाजिक पिछड़ापन का कारण है ? या आर्थिक विपन्नता शैक्षणिक पिछड़ापन कारण है ? यह विचारणीय प्रश्न है। अतः शिक्षा एवं आर्थिक पिछड़ापन के बीच के सम्बन्ध का सर्वेक्षण एवं अध्ययन आवश्यक है और यही शोध का मुख्य विषय है अतः इस अध्ययन में निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है :

;पद्ध बहादुरपुर में सामान्य जनसंख्या एवं अनुसूचित जातियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिरूप सामयिक एवं स्थानिक संदर्भ में किस प्रकार का है ?

;पपद्ध बहादुरपुर प्रखण्ड में सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों की शिक्षा के स्तर एवं उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में किस तरह का सह सम्बन्ध है ?

;पपपद्ध अनुसूचित जातियों का वितरण प्रतिरूप किस प्रकार है ?

;पअद्ध अनुसूचित जातियों की अन्य जनाकिकीय विशेषताओं का प्रतिरूप किस तरह की है?

;५) उनके जीवनस्तर को उठाने के लिए एवं उनकी सामाजिक स्वीकार्यता के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया है ।

परिकल्पना का परीक्षण

श्परिकल्पनाश् शब्द का अर्थ एक श्उस कथनश् से हैए जो कि किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता

श्रॅण्ण ठमेज के अनुसार : ष्ज पे ोतमूमक हनमे वत पदमितमदबम जींज पि वितउनसंजमक दक चतवअपेपवदंससल कवचजमक जव मगचसंपदए वइेमतअमक बिजे वत बवदकपजपवदे दक जव हनपकम पद नितजीमत पदअमेजपहंजपवदेण्ष

अर्थात् श्परिकल्पना एक विचारयुक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप से उसे सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्यों को निदेशन देता हैं।ष

ठॅण्ण ज्नबाउंद के अनुसार ष्परिकल्पना की परिभाषा अपेक्षित घटना के रूप में की जाती है जो चरों के माने हुए सम्बन्ध का सामान्यीकरण होता है।ष

ष। ीलचवजीमेपे बवनसक इम कमपिदमक वद द मगचमबजंजपवद इवनज मअमदजे इेंमक वद हमदमतंसप्रंजपवद व जीम नउमक तमसंजपवदीपच इमजूममद अंतपंइसमेण्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्न प्रमुख शोध संकल्पनाओं का उपस्थापन और परीक्षण किया गया है :

;पद्ध दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में व्याप्त सामंतवादए वणिकवाद और जमीन्दारी प्रथाओं के कारण अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

;पपद्ध अनुसूचित जातियों में साक्षरता का निम्न स्तर और अशिक्षा के कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई है जिससे उनमें दरिद्रता व्याप्त है।

;पपपद्ध अनुसूचित जातियों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी के चलते उनका बाह्य पलायन (व्नज.उपहतंजपवदद्ध पंजाबए गुजरातए हैदराबादए आदि के नगरीय केन्द्रों की ओर हुआ है।

;पअद्ध बाह्य पलायन किये गये मजदूरों की आमदनीसे बहादुरपुर प्रखंड के अनुसूचित जाति के परिवारों की आमदनी बढ़ी है जिससे उनके शैक्षणिकए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

;अद्ध अनुसूचित जाति के पुरुषों और महिलाओं के अनुपात तथा श्रम शक्ति के बीच घनात्मक सह-सम्बन्ध (च्वेपजपअम ब्वततमसंजपवदद्ध है।

;अपद्ध अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति एवं उनके गैर-कृषि व्यावसायिक संरचना के बीच ऋणात्मक-सह-सम्बन्ध (छमहंजपअम ब्वततमसंजपवदद्ध है।

इन परिकल्पनाओं की जाँच उपयुक्त सांख्यकीय विधियों का प्रयोग कर किया जायेगाए ताकि परिकल्पना स्वीकार्य है अथवा नहीं।

उपर्युक्त संकल्पनाओं के परीक्षण में मानक विचलनए कार्ल पीयर्सन की सह-सम्बन्ध-गुणांक विधिए तथा अन्य सह-सम्बन्ध गुणांक परीक्षण विधियोंए निकटतम पड़ोसी विश्लेषण (छमंतमेज छमपहीइवनत ।दंसलेपेद्धए स्टुडेण्ट टी टेस्ट (ैजनकमदज ज ज्मेजद्धए *काई-स्कायर टेस्ट (बेप्ैुनंतम ज्मेजद्ध तथा अन्य उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।*

पूर्व साहित्य का पुनरावलोकन ***(त्मअपमू वि च्तमअपवने स्पजमतंजनतमद्धरू***

अनुसूचित जातियों का भूगोल में अध्ययन अभी भी शैशवारथा में है। 20वीं सदी के पूत्र में इन पर अध्ययन छिट-फूट रूप में हुआ है। तत्पश्चात जनगणनाए सर्वेक्षणए प्रतिवेदनए जिला गजेटियर इत्यादि में इनके सामाजिक रीति-रिवाजों के विषयों में आलेख प्रस्तुत किये गये। हनटर नामक विद्वान (1877द्ध ने अपनी प्रस्तुती श्ैजंजपेजपबंस ।बबवनदज वि ठमदहंसश में समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया है। प्रमुख अनुसूचित जातियों के विभिन्न पहलुओं पर रिजले (1891द्ध ने प्रकाश डाला। एस0सी0 राय मुँइयाँ पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित करके उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। जी डब्लू ब्रीग्स (1920द्ध ने बिहार के किसानों की जिन्दगी पर मोनोग्राफ प्रकाशित किया। आर0आर0 दिवाकर (1959द्ध ने अपनी पुस्तक श्ठपींत जीतवनही ।हमेश में वैदिक काल से हाल तक अनुसूचित जातियों की दशाओं पर प्रकाश डाला है। भारतीय जनगणना विभाग ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर कई नृताव्विक अध्ययन प्रारमम किया जिसमें 1961 के बाद इन जातियों का अध्ययन भी किया गया है । अध्ययन करने वाले विद्वानों में सन्याल (1970द्ध पद्मनाम (1974द्धए नाग (1974द्ध तथा भारत सरकार (1980द्ध उल्लेखनीय है। अनुसूचित जातियों पर कम कार्य किये गये है। भारत में चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में इससे संबंधित कई प्रमुख शोध योजनाओं पर कार्य किये गये हैं।

इनके अतिरिक्त गोसल एवं मुखर्जी (1972द्ध तथा चाँदना (1980द्ध ने सम्पूर्ण भारत स्तर पर अनुसूचित जातियों के वितरण प्रतिरूप पर प्रकाश डाला है। मेहता एवं गिल (1984द्ध ने ग्रामीण विष्ट दौआव (पंजाब) में अनुसूचित जातियों के स्थानान्तरण पर अध्ययन किया है। राम अवतार (1987द्धने अवध प्रदेश की अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर पर प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में प्रकाश डाला है। सामाजिक भूगोल के अन्तर्गत मुखर्जी (1980द्ध ने उत्तर प्रदेश के चमार पर अध्ययन
किया है। गोसल (1979द्ध ने भारत में शिक्षा के स्थानिक स्तर पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जहाँ अनुसूचित जातियाँ अधिसंख्यक हैए वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न है।

लाल (1979द्ध ने पंजाब की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भूगोल नामक एक एमफिल थीसिस (पंजाब विश्वविद्यालयए पंजाब) लिखाए सिंह एवं नाथ (1981द्ध ने सरयु पार मैदान में ग्रामीण अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रादेशिक प्रारूप पर प्रकाश डाला है। राना पी0वी0 सिंह (1975द्ध ने सारण मैदान की अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक पहलूओं का अध्ययन किया है। जम्मोलकर (1976द्ध ने ग्रामीण भारत में अनुसूचित जातियों में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक जातियों का शैक्षिक स्तर का अध्ययन किया है। सच्चिदानन्द सिन्हा (1981द्ध ने बिहार में अनुसूचित जातियों का शैक्षिक स्तर पर कार्य किया है। हर्षद त्रिवेदी (1980द्ध ने पंजाब राज्य का अध्ययन करते हुए अनुसूचित जातियों के बीच व्याप्त शैक्षणिक असमानताओं पर प्रकाश डाला। झाए इन्द्र किशोर (1990द्धए ल.ना.मि.वि.वि.ए दरभंगा में जमा अपेन शोध प्रबंध (अप्रकाशित) में बिहार की अनुसूचित जातियों की जनांकिकीय विशेषताओं में आये परितर्वन का गहन अध्ययन किया गया है।

यादवए राम बाबू (2013द्ध ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अपने शोध प्रबंध (अप्रकाशित) में दरभंगा जिला के अनुसूचित जातियों की साक्षरता की समीक्षा की है। कुमारए नन्दू (2013द्ध ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालयए आरा में जमा अपने शोध प्रबंध (अप्रकाशित) में रोहतास जिला की अनुसूचित जातियों की साक्षरता के स्तर का स्थानिक-कालिक विश्लेष्णण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार कुमारीए सीमा (2017द्ध ने लाना0 मिथिला विश्वविद्यालयए दरभंगा में जमा अपने शोध प्रबंध में मिथिला क्षेत्र में अनसचित जातियों की साक्षरता स्तर का स्थानिक-कालिक विश्लेषण उपस्थापित किया है।

कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत में कृषि भूगोल के अध्ययन को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल सका । स्वतंत्रता के पूर्व अधिकांश अध्ययन केवल प्रादेशिक कृषि के विवरण एक ही सीमित थे। इनमें रामाकृष्णन द्वारा कायेम्बटूर (1930द्धए सौरीराजन द्वारा मालाबार जनपद (1931द्धए राजामनिक्कम द्वारा त्रिचिनापल्ली (1934द्धए श्रीनिवासन द्वारा अनन्तपुर (1935द्धए गोपालन द्वारा तंजौर (1937द्धए अय्यर द्वारा कोयम्बटूर (1939द्धए राजगोपाल द्वारा तंजौर जनपद (1942द्ध का उल्लेख किया जा सकता है। इन सभी विद्वानों ने दक्षिणी भारत के विभिन्न जनपदों में प्रमुख फसलों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन किया। मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश तथा दयाल ने बिहार राज्य की कृषि विशेषताओं का विवरण देते हुये इन्हें विभिन्न कृषि प्रदेशों में विभाजित किया।

1941 में एस. पी. चटर्जी ने भारत के भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु भूगोलविदों को आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया जिसके लिये शफी ने समुचित तकनीक और ठोस सुझावों का परामर्श दिया (1936द्ध। इस बीच कृषि अर्थशास्त्र की भारतीय समिति (प्ै।म्द्ध ने त्मंकपदहे पद स्ंदक न्जपसप्रंजपवद ;1957द्ध नामक पुस्तक का प्रकाशन किया।

1950 के बाद भारत में कृषि भूगोल की विषय सामग्रीए उपागम और विधि तंत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया जिसके कारण भूगोलविदों ने जनसंख्या एवं खाद्य समस्या (ैण्च्ण् बैंजमतरममए 1952य ळण् ज्ञनतपलंदए 1952ए भ्ण्च्ण् केंए 1969द्धय फसल प्रतिरूप में परिवर्तन (अण् त्ण्ैपदहीए 1959य डण्ैंपिए 1965य ज्ञण् ।दंतपए 1968य ज्ञण् ीिंक 1968य ैण्छण् डनीमतरममए 1968य ठण्ैण् छमहपए 1972द्ध फसलों का संकेन्द्रण एवं विशाखनए कृषि नियोजनए कृषि एवं पोषाहार आदि विषयों के अध्ययन में रुचि दिखाई है। इन अध्ययनों में परिणामात्मक तकनीकों का भी उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। उदाहरणार्थ शफी (डण्ैंपिए 1960द्धए भाटिया (ठींजपंए 1967द्धए सिन्हाए सिंह (पदींए 1968द्धए सिंह (टण् त्ण्ैपदहीद्धए जे. सिंह. (श्रंेइपतैपदहीए 1972ए 1984द्धए सुरेन्द्र सिंह (1994द्ध आदि के अध्ययनों में सांख्यिकीय विधियों का प्रचुर उपयोग देखा जाता है। भारत में कृषि भूगोल के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 1976 में कृषि पर राष्ट्रीय आयोग का गठन है जिसके तत्वावधान में देश में कृषि की स्थिति पर कई रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। राजस्थान राज्य पर इसी प्रकार के एक प्रबन्ध (उवदवहतंचीद्ध त्ंरंेजींद ंदक ब्वचचपदह च्ंजजमतद का प्रकाशन 1976 में हुआ है। इसी प्रकार भारत एवं उसके विभिन्न राज्यों में कृषि प्रतिरूपों के सम्यक् विवरण हेतु कृषि एटलस भी लवीपमितं वित जीम ८ ;।हतपबनसजनतंस ।जसें वि त्रेजींदए ैमद 1972य ।द ।हतपबनसजनतंस ।जसें वि प्दकपंए इल श्रण्ैपदहीए 1974य ।द ।हतपबनसजनतंस ळमवहतंचील वि भ्ंतलंदं इल श्रण्ैपदहीए 1976द्ध हरित क्रान्तिए कृषि में बढ़ते पूँजी निवेशए कृषि को उद्योगों का दर्जा दिये जानेए कृषि के वाणिज्यीकरण आदि के कारण कृषि भूगोल विदों की रुचि कृषि अध्ययनों में बढ़ी है। आज भारत में कृषि भूगोल विश्व स्तर के साथ तालमेल रखता हुआ विकासोन्मुख है।

प्रादेशिक स्तर पर निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि भारत के कृषि भूगोल के प्रारम्भिक विकास में दक्षिणी भारत के भूगोलविदों की प्रमुख भूमिका रही है। इसको सुदृढ़ आधार देने में पूर्वी भारत (चटर्जीए दयालए मुखर्जी) और उत्तरी भारत (शफीए हुसैनए अमानीए बी. बी. सिंहए वी.आर. सिंह) के भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा है। कृषि भूगोल के वर्तमान विकास पर पंजाब-हरियाणा क्षेत्र की हरित क्रान्ति का प्रभाव पड़ा है जिससे इसका केन्द्र-बिन्दु उत्तर-पश्चिम की ओर खिसक गया है जिसमें जसबीर सिंहए जी.बी. सिंहए के.एस. सोहलए सुरेन्द्र सिंह आदि के प्रयास एवं योगदान उल्लेखनीय हैं । हाल में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित श्योजनाश् एवं श्कुरूक्षेत्रश् मासिक पत्रिकाओं में भी भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रान्ति ए पीली क्रान्ति और नीली क्रान्ति के योगदान की समीक्षा की जा रही है ।

कुरूक्षेत्र के मार्चए 2016 का अंक श्कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र ऽ का विशेषांक है जिसमें मुखर्जी धुरजटी (2016द्ध ने कृषि क्षेत्र में श्लैव टू लैण्ड श दृष्टिकोण शोध आलेख प्रस्तुत किया है द्य परसाई ए गार्गी (2016द्ध ने इसी अंक में श्राष्ट्रीय कृषि बाजार - एक दूरगामी सुधारश शोध आलेख है । डा0 वीरेन्द्र कुमार (2016द्ध ने श्कृषि विकास की नवीनतम तकनीकें तथा मधुसुदन ए गजेन्द्र सिंह (2016द्ध ने श्जमाना जैविक खेती का श पर शोध निबंध प्रस्तुत किये हैं द्य कुमार गौरव (2016द्ध ने श्कुरूक्षेत्र के इसी अंक में श्भारत में डेयरी उद्योग : सफलता और चुनौतियाँशए विषय पर शोध आलेख प्रस्तुत किया है जबकि सुधांशु गुप्त (2016द्ध ने कुरूक्षेत्र के मार्च 2016 अंक में श्जय जवान ए जय किसान और जय विज्ञान को अमली जामा पहनाता किसान विषय पर विवेचन पूर्ण शोध आलेख प्रस्तुत किया है।

विधि तंत्रात्मक उपागम (डमजीवकवसवहपबंस ।चचतवंबीद्ध रू

किसी भी अनुसंधान के लिए विधि तंत्र की आवश्यकता होती हैए जिसमें अध्ययन की इकाई क्षेत्र आँकड़ों का संकलन एवं सम्पादन मानचित्रांकनए विश्लेषण इत्यादि पर विचार-विमर्श कर निष्कर्ष निकाला जाता है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड में अनुसूचित जातियों का शैक्षणिकए सामाजिक और आर्थिक स्तर अत्यंत निम्न है । अगर सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाय तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर का उन्नयन किया जा सकता हैए साक्षरता के स्तर को बढ़ाया जा सकता है तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। शोद्यार्थी की अपेक्षा है कि बहादुपुर प्रखण्ड के अनुसूचित जाति के लोग भी विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे तथा वे विकास के नये क्षितिज का अवलोकन कर सकेंगे और अगर ऐसा संभव हुआ तो शोद्यार्थी का शोध कार्य सफल माना जायेगा।

उद्धरण (त्मितमदबमेद्ध रू

- सिंहए सुनील कुमार (2011द्ध रू ष्कृषि क्षेत्र में नई क्रांति – ई खेतीश् कुरूक्षेत्रए वर्ष ऋऋऋ57ए मासिक अंक 12ए अक्टुबरए 2011ए ग्रामीण विकास मंत्रालयए नई दिल्लीए पृष्ठ 31.37
- शुक्लए आशुतोष (2011द्ध रू श्ग्रामीण भारत में उठाये गये नए कद कुरूक्षेत्रए उपर्युक्त अंकए पेज – 38.42
- यादवए अमित नारायण (2013द्ध रू श्संचार क्रान्ति ने बदला ग्रामीण भारत का जीवन स्तरश् कुरूक्षेत्रए वर्ष 59ए मासिक अंक : 12ए अक्टुबर 2013ए ग्रामीण विकास मंत्रालयए नई दिल्लीए पृष्ठ 29.32
- सेनए बी0 एवं जेठरामा (2013द्ध रू श्सूचना तकनीक से सुधरता ग्रामीण जीवन स्तरश् श्कुरूक्षेत्रश् उपर्युक्त अंक पृष्ठ 44.46
- टेकाम के0 एवं दहामतए टी0 ;2014द्ध रू श्पर्यावरण सहज विकास परियोजनायेंए श्कुरूक्षेत्रश् वर्ष 60ए मासिक अंक 04ए फरवरीए 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालयए नई दिल्लीए पृष्ठ 4.8
- मैत्री. बलवंत सिंह (2014द्ध रू श्एक अर्थशास्त्री ने बदली खेती भी परिभाषाश्ए श्कुरूक्षेत्रश्ए उपर्युक्त अंकए पृष्ठ 46.48
- बोहराए सुनीता (2014द्ध रू श्कृषि सहभागिता का पर्यावरण डेयरी उद्योगश्ए श्कुरूक्षेत्र वर्ष 60ए मासिक अंक 07ए मई 2014 ग्रामीण विकास मंत्रालयए नई दिल्लीए पेज 15.18
- कुमारए मयंक (2014द्ध रू श्सहकारी क्षेत्र में बढ़ रहा है दुग्ध व्यवसायश् कुरूक्षेत्रए उपर्युक्त अंक पृष्ठ 25.27
- गौतमए नीरज कुमार (2014द्ध रू श्जाम कृषि : विविध उद्योगों का आधारश् श्कुरूक्षेत्रश्ए उपर्युक्त अंकए पृष्ठ 28.343